न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः– 55/2013

दायर तारीख 10.08.2013

अनवान

01. आरती पुत्री छोटुलाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय काश्त निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)
02. मु0 पूनम पुत्री छोटुलाल जाति हरिजन उम्र 14 साल नाबालिग मार्फत माता मु0 प्रेम पत्नि छोटु हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय गृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)
03. रोहित पुत्र छोटु जाति हरिजन उम्र नाबालिग मार्फत माता मु0 प्रेम पत्नि छोटु हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय गृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय नोकरी नगरपालिका कार्यालय बून्दी निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. छोटूलाल पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय नोकरी नगर परिषद भीलवाड़ा निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. मुकेश पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
4. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दिनेश तम्बोली – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक :–24/05/2023

उक्त प्रकरण वादीया आरती एवं वादी संख्या 2 व 3 की ओर से उनकी वाद मित्र प्राकृतिक माता ने वादीगण के नाबालिग होने से प्रस्तुत किया।

वादपत्र बाद जांच सिगे की रिपोर्ट के वादपत्र दर्ज योग्य होने की रिपोर्ट आने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये व प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।

वादपत्र अनुसार वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र अनुसार वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी होने को साबित करने के लिए पारिवारिक सजरा प्रस्तुत कर वादीगण के पूर्वज उदाजी जिनका पुत्र माधु पुत्र उदा था। माधु के रामगोपाल पुत्र हुआ जिसके कन्हैयालाल, छोटू व मुकेश पुत्र व रामगोपाल जी की पत्नी सीता देवी हैं। सीता देवी पत्नी रामगोपाल की मृत्यु हो चुकी हैं। छोटुलाल पुत्र रामगोपाल प्रतिवादी संख्या 2 के दो लड़किया आरती व पूनम व पुत्र रोहित हैं। जो प्रकरण में वादीगण हैं।

वादीगण का पिता छोटूलाल पिता रामगोपाल हरिजन जीवित हैं। वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि मौजा बिजौलियां के दो अलग–अलग खातों में दर्ज हैं। एक खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां, खसरा नम्बर 156 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वां, खसरा नम्बर 157 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वां माधु पुत्र उदा हरिजन जो वादीगण के परदादा व दुसरे खाते में दर्ज भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वां हैं जो रामगोपाल पिता माधु जी हरिजन को आवंटन हुयी जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 छोटूलाल के पिता व वादीगण के दादा थे।

वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 247 के आवंटी रामगोपाल को उनके जीवनकाल में खातेदारी प्राप्त हो गयी। रामगोपाल जी की मृत्यु होने के बाद उनके उतराधिकारियों

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

वादीगण कमाक 1 से 3 तक के नाम भूमि दर्ज हो गयी। इसी प्रकार विवादित भूमि खसरा न0 155, 156, एवम 157 के आवटी वादीगण के परदादा माधु जी को उनके जीवनकाल मे खातेदारी प्राप्त हो गयी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से भूमि वादीगण के दादा एवम प्रतिवादी सख्या 2 छोटुलाल के पिता रामगोपाल के नाम पर आयी एवम उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सख्या 1 से 3 के नाम विरासत से दर्ज हो गयी।

वादीगण की पुश्तेनी जायदाद मे जन्म से हक प्राप्त हे। प्रतिवादी सख्या 2 छोटुलाल ने अपनी विधि पूर्वक विवाहिता पत्नि प्रेम देवी को बिना किसी विधि पूर्वक विवाह विच्छेद कराये वादीगण के जन्म के बाद छोड दिया एवम अन्य महिला संतोष से बिना विवाह के नाता कर लिया जो वैध विवाह की श्रेणी मे नही आता है। नाता लायी ओरत से संताने उत्पन्न हो गयी जो भीलवाडा मे प्रतिवादी सख्या 2 के साथ रह रहे है।

कि प्रतिवादी सख्या 2 छोटूलाल का वादग्रस्त जायदाद मे 1/3 हिस्सा है शेष 2/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी सख्या 1 व 3 है।

प्रतिवादी सख्या 2 वादीगण का पिता नगरपरिषद भीलवाडा मे कार्यरत कर्मचारी है वादीगण सख्या 2 व 3 नाबालिग होकर उनकी माता उन्हे पाल पोष रही है छोटूलाल प्रतिवादी सख्या 2 वादीगण का पालन पोषण नही कर रहा है न ही वादीगण का किसी प्रकार का आर्थिक भार वहन कर रहा है। प्रतिवादी सख्या 2 को नगर परिषद भीलवाडा से वेतन मिल रहा है उसे किसी प्रकार से धन की आवश्यकता नही है न ही उस पर विवाहित पत्नि एवम उसके विवाहिता से उत्पन्न संतानो का भार है इसलिए प्रतिवादी सख्या 2 की पारिवारिक जरूरतो व वादीगण की शिक्षा व बीमारी के ईलाज हेतु आर्थिक भार नही है। प्रतिवादी सख्या 2 वादीगण के पुश्तेनी जायदाद मे बनने वाले हिस्से को विकय का अधिकार नही न ही वह उनके हिस्से को रहन विकय कर सकता है।

प्रतिवादी सख्या 2 छोटुलाल द्वारा पूर्व पत्नि प्रेम देवी को बिना तलाक दिये अवैधानिक तरिके से रखी औरत संतोष से उत्पन्न संतानो को पुश्तेनी जायदाद की वसीयत दान से अन्तरण करने अथवा अपने 1/3 हिस्से का विकय कर उससे प्राप्त धन को अपने पास रखी औरत अथवा उससे उत्पन्न संतानो पर विकय राशि खर्च करने पर आमादा है जबकि अवैध रूप से रखी गयी औरत से उत्पन्न संतोनो को पुश्तेनी जायदाद मे कोई हक प्राप्त नही होते है ऐसी संताने को केवल अपने पिता अथवा माता की स्वअर्जित सम्पति मे ही हक प्राप्त होते है।

प्रतिवादीगण की हुयी तलबी के पश्चात केवल प्रतिवादी सख्या 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षिय आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने प्रस्तुत जवाब द्वारा यह कथन किया कि वादीगण ने सजरा प्रस्तुत किया वह आधा अधूरा है वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी नही है इसलिये वादीगण वादग्रस्त जायदाद मे हिस्सा पाने के अधिकारी नही है। वादीगण के वादग्रस्त जायदाद मे हक अधिकार निहित नही है। प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत कर्ता की पत्नि प्रेम देवी वर्षो से अलग रह रही है। प्रतिवादी उसे अपने वेतन से कटोती कर भरण पोषण का खर्चा दे रहा है।

प्रतिवादी सख्या 2 वादग्रस्त जायदाद न तो रहन रख रहा है एवम न ही विकय कर रहा है। वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा नही है। प्रतिवादी सख्या 2 वादग्रस्त जायदाद का खातेदार है। उसे भूमि को रहन विकय का अधिकार है। वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।वादपत्र वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की और से पुश्तेनी जायदाद सिद्व करवाने के लिए अपने दादा रामगोपाल के खाते की जमाबन्दी व वर्तमान मे प्रतिवादीगण कमाक 1 से 3 तक के नाम वादग्रस्त जायदाद दर्ज होने की वाद प्रस्तुत करने के समय की जमाबन्दी प्रस्तुत की। प्रतिवादी न0 2 ने उसकी स्वअर्जित सम्पति होने का कोई रेकर्ड प्रस्तुत नही किया।वाद एवम जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

आया बिजोलिया कला मे स्थित भूमि आ.न. 155–156–157 रकबा 8 बीधा 5 बिस्वा एवम आ0न0 247 प्रत्येक खाते मे प्रत्येक वादीगण 1/12 वे हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बटवाडा कराने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

4. आया विवादित भूमि पुश्तेनी नही है वादीगण विवादित भूमि मे खातेदारी पाने के अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण किसी प्रकार की खातेदारी पाने के अधिकारी नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के खातेदार है किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

7. आया अनुतोष क्या होगा।

वादीगण के नाबालिग होने से उनकी वादमित्र माता प्रेम देवी पी.डबल्यू. 1 के बयान करवाये गये।

गवाह प्रेम देवी पी.डब्ल्यू. एक ने अपने मुख्य परिक्षण मे कथन किया कि मोजा बिजोलिया स्थित कृषि भूमि के एक खाते मे 8 बीधा 5 बिस्वा व दूसरे खाते मे दर्ज 1 बीधा 12 बिस्वा के लगभग है जो पूर्व मे एक जमीन मेरे दादीया ससुर माधु पिता उदा जी के नाम थी दूसरी रामगोपाल ने बनायी उन दोनो के शान्त होने के बाद उत्तराधिकारिता से कन्हैयालाल, छोटूलाल मुकेश के नाम पर आयी। मेरी सास सीता की मृत्यु हो गयी है। मेरे पति को दोनो जायदादो में 1/3 हिस्सा मिला है। मेरे पति ने दूसरी औरत संतोष को मुझे बिना तलाक दिये ओर बिना विवाह के उसे रख लिया ओर अवेध सम्बन्ध बना लिए जिससे तीन संताने हो गयी। जो अवैध संताने है। मेरे व छोटू के नुत्फे से 2 लडकिया एक लडका उत्पन्न हुये। मै छोटू की शादी सुदा हूँ। छोटू ने मुझे व मेरे बच्चो को घर से निकाल दिया। तब से मै पीहर बडलियास मे रह रही हूँ। छोटू अपनी नाजायज संतानो के नाम जमीन कराने की फिराक मे है। मेरे पति के 1/3 हिस्से मे तीनो संतानो पूनम भारती व रोहित का बराबर का हिस्सा है क्योकि जमीन पुश्तेनी है। मैने नकल जमाबन्दी 2067 –70 पेश की है जो प्रर्दश 1 है संवत 2067 मे खाता सख्या 33 की जमाबन्दी प्रर्दश 2 है। जमाबन्दी संवत 2031 से 2035 की है जो प्रर्दश 3 है जिसका खाता सख्या 37 है। जिरह मे कथन किया है कि जमीन के नम्बर याद नही पडोस पूर्व मे हमारे समाज की जमीन पश्चिम ओडो की जमीन धरऊ मे याद नही दक्षिण मे खटीक की जमीन है एक जमीन रामगोपाल को आवंटित हुयी। छोटु, रामागपेल का लडका है मे 16 वर्षो से छोटू से अलग रह रही हूँ। मेरी पुत्री आरती व पूनम की शादी हो गयी । रोहित की शादी नही हुयी है। यह सही है छोटू के विरूद्व भरण पोषण का दावा किया। 3000/ रूपया छोटू की तनखाह से कट कर आ रहा है यह कहना गलत है कि खेत कभी नही बोया हो। 4–5 साल खेती करने के लिए गयी। यह कहना गलत है कि छोटू विकलांग हो।

वादीगण की और से साक्ष्य बन्द करने के बाद प्रतिवादी छोटूलाल डी. डब्ल्यू 1 के रूप मे पेश हुआ। जमीन बिजोलिया मे होना स्वीकार किया एक लडका रोहित व लडकिया आरती व पूनम लडकिया है। जमीन 8 बीधा 5 बिस्वा है मे प्रेम को 18 साल से खर्चा दे रहा हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद जमीन मेरे नाम पर आयी। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी दूसरी औरत संतोष से एक लडका जितेन्द्र व दो लडकिया रिकू एवम पूजा है। यह सही की वादग्रस्त जायदाद हमारी पुश्तेनी है। मेने लडके लउकियो को

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

...न नही दे रखी है। अभी मै जिन्दा हूँ अपने लडके व लडकीयो को जमीन नही देना चाहता हूँ।

प्रतिवादी ने अपने अतिरिक्त किसी गवाह के बयान नही करवाये साक्ष्य बन्द की। पत्रावली बहस मे लगायी गयी।

वादीगण की और से की गयी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो पर लगाये गये प्रर्दश से सिद्व करवाया गया है प्रतिवादी छोटूलाल ने भी अपनी जिरह मे स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी है किन्तु वह अपने लडके व लडकियो को अपने जीवित रहते हिस्सा नही देना चाहता है। प्रतिवादी छोटूलाल ने प्रेम को अपनी विवाहिता पत्नि और उससे उत्पन्न लडका रोहित व लडकिया आरती व पूनम होना स्वीकार किया है इसलिए यह जायदाद का पुश्तेनी होना व प्रेम देवी का छोटूलाल विवाहिता होकर उससे छोटूलाल के पुत्र रोहित व लडकी आरती व पूरम होना सिद्व हुआ है। साथ ही दूसरी औरत संतोष को रखना व उससे लडका जितेन्द्र व लडकिया रिकू व पूजा होना प्रतिवादी ने स्वीकार किया है।

प्रतिवादी ने यह सिद्व नही करवाया कि उसने अपनी विवाहिता प्रेम देवी का विधिवत तलाक देकर संतोष से विवाह किया हो। इससे स्थापित है कि संतोष के साथ अवैध सम्बन्ध से उसके संताने हुयी है।

वादीगण ने अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया है कि पुश्तेनी जायदाद मे नीचे की चार पीठ तक जन्म से वादग्रस्त जायदाद मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पक्षकारो पर लागू होने से हक प्राप्त होते है यदि उनके पुश्तेनी जायदाद उनके पिता के नाम पर कर्ता परिवार की हेसियत से दर्ज हुयी है तो उसके वैध विवाह से उत्पन्न संतानो को हक प्राप्त हो जाते है वादीगण को पुश्तेनी जायदाद मे हक व अधिकार प्राप्त है। यदि पिता द्वारा पुश्तेनी जायदाद उनके अधिकार स्थापित होने के बाद भी वेध हकदारो को उनका हिस्सा नही दे अन्य को भूमि देना चाहते है तो वे वाद के माध्यम से अपना हिस्सा घोषित करवा बटवाडा कराने हेतु वाद अपने पिता के जीवित रहते ला सकते है व घोषणा व बटवाडे की डिक्री प्राप्त कर सकते है।

कि पुश्तेनी जायदाद में अवैध रूप से बिना पूर्व पत्नि से विधिवत तलाक लेकर दूसरी औरत रखता है तो ऐसी संतानो को कोई हक प्राप्त नही होते है। अवैध सम्बन्धो से उत्पन्न संतान केवल अपने माता पिता की स्वअर्जित सम्पति मे ही हक प्राप्त कर सकती है दादा की अर्जित सम्पति की वे हकदार नही। इसके लिए कानून भी स्पष्ट है हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 16 मे स्पष्ट किया हुआ है कि अवेध रिश्ते से उत्पन्न संताने पुश्तेनी जायदाद मे हक प्राप्त नही करेगा। इसलिए न्यायिक उदाहरण ए.आई आर 2010 बोम्बे पेज 24 पेश की गयी साथ ही पिता के जीवन काल में वैध संतान अपने पिता के जीवन काल मे वाद ला सकता है इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आर.आर. डी 1978 पेज पेश की।

इसलिए वादपत्र चाहे गये अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी छोटूलाल की ओर से यह आपति की गयी वह प्रेम देवी को भरण पोषण का खर्चा दे रहा है विवादित जायदाद पुश्तेनी नही है। कृषि भूमि उसके नाम पर है इसलिए उसे भूमि को रहन विक्रय करने का अधिकार है वादीगण को वाद लाकर न तो प्रतिवादी को वाद पेश करने का अधिकार है न ही लाया गया वाद डिक्री योग्य है।

दोनो पक्षो के द्वारा की गयी बहस प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड का अवलोकन व पत्रावली मे आयी साक्ष्य पर विधि के परिपेक्ष मे विचार करने के पश्चात तनकीयो के अनुसार न्यायालय का निम्न निर्णय है।

1. तनकी नम्बर 1

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार वादीगण पर है जिसका सिद्व करवाने के लिए वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दीया प्रस्तुत की गयी जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि का एक खाते की भमि ख0न0 1' 56 एवं 157 रकबा 8 बीधा 5 बिस्वा माधु पिता

उप खण्ड अधिकारी
... जिला-भीलवाडा

हरिजन को आवटित हुयी जिसकी खातेदारी नामान्तकरण सख्या 73 से माधु हरिजन दी गयी जो उत्तरोतर उसके पुत्र रामगोपाल ओर उसकी मृत्यु के उसके तीनो पुत्रो कन्हैयालाल छोटूलाल मुकेश के नाम पर दर्ज हुयी है इस प्रकार आ0न0 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा आवंटी रामगोपाल हरिजन के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी जिसकी बाद मे उसे खातेदारी प्रदान की गयी। उसकी मृत्यु के बाद यह कन्हैयालाल, छोटूलाल व मुकेश के नाम पर दर्ज हुयी। स्वय प्रतिवादी छोटूलाल ने अपने बयानो मे पुश्तेनी जायदाद होना स्वीकार किया है इसलिए छोटूलाल का दोनो खातो मे प्राप्त 1/3 हिस्से मे वादीगण प्रत्येक 1/12 हिस्सा एवम स्वय छोटूलाल 1/12 हिस्से के हकदार है क्योकि पुश्तेनी जायदाद मे हिन्दु उत्तराधिकार के अनुसार वादीगण को जन्म से हक प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्हे वादीगण के बनने वाले हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार है वादीगण प्रत्येक को 1/12 वे हिस्सें का खातेदार घोषित किया जाना उचित है वादीगण को उनके वैध हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व तनकी न0 एक का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

(2) तनकी न0 2

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार वादीगण पर है। चूकि वादीगण प्रत्येक को उनके बनने वाले 1/12 वे हिस्से का खातेदार न्यायालय ने तनकी नम्बर का निर्णय उनके पक्ष मे किया है इसलिए उनको अपने हिस्सो का बटवाडा कराने का अधिकार होने से वादीगण को मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवाडा किया विधि सम्मत होने इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाकर तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

(3) तनकी न0 3

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार वादीगण पर है। किसी भी खातेदार व्यक्ति को अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने का अधिकार राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने हिस्से की भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है वादीगण के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सख्या 2 को रहन विक्रय एवम अन्य प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सख्या 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी होने से तनकी न0 3 वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

(4) तनकी न0 4

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार प्रतिवादी सख्या 2 पर है किन्तु प्रतिवादी सख्या 2 ने ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी नही होना साबित करवाया हो प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने बयान मे वादग्रस्त जायदाद का पुश्तेनी होना स्वंय ने स्वीकार किया है इसलिए इस तनकी को प्रतिवादी सख्या 2 अपने पक्ष मे साबित कराने मे असफल रहा है इसलिये इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सख्या 2 के विरूद्व किया जाता है।

(5) तनकी नम्बर 5

इस तनकी को सिद्वकरवाने का भार प्रतिवादी सख्या 2 पर है किन्तु तनकी संख्या एक का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया गया है इसलिए इस तनकी को प्रतिवादी सख्या 2 के विरूद्व तय की जाती है।

(6) तनकी न0 6

इसको सिद्व करवाने का भार प्रतिवादी न02 पर है। प्रतिवादी सख्या 2 ने ऐसी किसी विधि का अवलोकन नही करवाया है कि पुश्तेनी जायदाद मे वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी नही है स्वंय प्रतिवादी न0 2 ने वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी होना माना है। पुश्तेनी जायदाद मे वादीगण का जन्म से अधिकार है इसलिए उनके पक्ष मे कब्जा होने की अवधारण की जा सकती है तनकी न0 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया गया है इसलिए यह तनकी प्रतिवादी सख्या 2 के विरूद्व तय की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अनुतोष

चुंकी वादीगण के पक्ष मे तनकी न0 1 से 3 तक तय की गयी है और तनकी संख्या 04 से 06 तक प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्व तय की गयी है। इसलिए ववादीगण का वाद डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

मौजा बिजौलियां कलां स्थित वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर आराजी नम्बर 247 किता 1 रकबा 0.2590 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 02 छोटूलाल हरिजन का 3/10 वां हिस्सा दर्ज होने से वादीगण को उसके 3/10 हिस्से मे से 3/4 हिस्से अर्थात कुलिया भूमि मे 9/40 हिस्से की एवम् इसी प्रकार मौजा बिजौलियां कलां की आ0ख0न0 155—156—157 कुल किता 3 रकबा 1.3375 हैक्टेया मे श्री छोटूलाल हरिजन का 3/10 हिस्सा दर्ज होने से वादीगण को उसके 3/10 वें हिस्से के 3/4 हिस्से अर्थात् कुलिया भूमि मे 9/40 वें हिस्से की खातेदारी प्रदान की जाती है एवम् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को उनके हक हिस्से पर काश्त करने मे हस्तक्षेप प्रतिवादीगण नही करें व प्रतिवादी संख्या 02 छोटूलाल वादीगण को प्रदत्त की गई उसके हक हिस्से की खातेदारी भूमि को रहन विक्रय एवम् अंतरित नही करें।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या:– 55/2013 **दायर तारीख 10.08.2013**

अनवान

01. आरती पुत्री छोटुलाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय काश्त निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)
02. मु0 पूनम पुत्री छोटुलाल जाति हरिजन उम्र 14 साल नाबालिग मार्फत माता मु0 प्रेम पत्नि छोटु हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय गृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)
03. रोहित पुत्र छोटु जाति हरिजन उम्र नाबालिग मार्फत माता मु0 प्रेम पत्नि छोटु हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय गृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल मुकाम बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय नोकरी नगरपालिका कार्यालय बून्दी निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. छोटूलाल पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय नोकरी नगर परिषद भीलवाड़ा निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. मुकेश पिता रामगोपाल जाति हरिजन उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
4. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 24/05/2023

डिक्री दिनांक : 08/06/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री दिनेश तम्बोली को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा बिजौलियां कलां स्थित वादग्रस्त कुलिया कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर आराजी नम्बर 247 किता 1 रकबा 0.2590 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 02 छोटूलाल हरिजन का 3/10 वां हिस्सा दर्ज होने से वादीगण को उसके 3/10 हिस्से मे से 3/4 हिस्से अर्थात कुलिया भूमि मे 9/40 हिस्से की एवम् इसी प्रकार मौजा बिजौलियां कलां की आ0ख0न0 155–156–157 कुल किता 3 रकबा 1.3375 हैक्टेयर मे श्री छोटूलाल हरिजन का 3/10 हिस्सा दर्जहोने से वादीगण को उसके 3/10 वें हिस्से के 3/4 हिस्से अर्थात् कुलिया भूमि मे 9/40 वें हिस्से की खातेदारी प्रदान की जाती है एवम् प्रतिवादी गण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को उनके हक हिस्से पर काश्त करने मे हस्तक्षेप प्रतिवादीगण नही करें व प्रतिवादी संख्या 02 छोटूलाल वादीगण को प्रदत्त की गई उसके हक हिस्से की खातेदारी भूमि को रहन विक्रय एवम् अंतरित नही करें। डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का आज दिनांक 08/06/2023 को प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 08/06/2023 को मुर्तिब की गई।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा